न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 140 / 2011 दायर दिनांक 12.10.2011

उनवान

1. माहाराम पिता चुन्ना अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. मु0 चान्दी पिता चुन्ना अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. मु0 सोहनी पिता चुन्ना अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. मु0 नोजी बेवा मांगु अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. रतनलाल पिता किशना अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. मु0 गटु बेवा चुन्ना अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)। (फोत)
7. मोहनलाल पिता नाथु अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
8. लैला उर्फ लालु पिता नाथु अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
9. मनोहर पिता कालु अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
10. शंकरी पिता कालु अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
11. सीता पिता कालु अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
12. मु0 गौरी विधवा कालु अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
13. मोती पिता नवाल अहीर उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

——प्रार्थीगण।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

——अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

निर्णय दिनांकः 13.02.2024

–:निर्णय:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कल्याणपुरा तहसील कपासन मे साबीक पैमाईश के आराजी नम्बर 695 / 647 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा एवं 696 / 648 रकबा [illegible] 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 694 / 315 रकबा 8 बिस्वा स्थित है जो तात्का[illegible] के पिता एवं दादा चुन्ना, नवला एवं नाथु के खातेदारी की होकर कब्जे [illegible] की है। य[illegible] उक्त आराजीयात का साबीक पैमाईश के नक्शे मे भी इन्द्राज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वर्तमान पैमाईश के नये रेकार्ड में बिना किसी आधार व अधिकार के नये नम्बर 1026, 1025, 1023 एवं 1024 कायम कर चारागाह में दर्ज कर दिये है जबकि पैमाईश विभाग को बिना

किसी आधार व अधिकार के खातेदारी भुमि को चारागाह मे दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। उक्त कारणों से प्रार्थीगण उक्त इन्द्राज को दुरुस्त करा आराजी नम्बर 1023 एवं 1024 व 1025, 1026 को पुनः प्रार्थीगणों के नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है।

यह कि उक्त इन्द्राज पैमाईश विभाग द्वारा अनाधिकृत किया है जिससे दुरूस्ती हेतु यह आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

यह कि विपक्षी ने धारा – 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू की तब रेकार्ड, की नकले ली जिससे उक्त तथ्य की जानकारी हुई जिससे बिनाथ प्रार्थनापत्र पैदा हो रही है जिसकी शुरूआत दिनांक 2.8.2011 से लगातार है ।

अन्त में प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा ग्राम कल्याणपुरा तहसील कपासन की वर्तमान आराजी नम्बर 1023, 1024, 1025, 1026 प्रार्थीगणों के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज की जावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

1. वाद की चरण सख्या 1 रेकार्ड पर आधारित होने से स्वीकार है।

2. वाद की चरण संख्या 2 रेकार्ड पर आधारित होने से स्वीकार है।

3. वाद की चरण संख्या अस्वीकार। वादी द्वारा वाद में घोषणा चाही गई कि 1023, 1024, 1025, 1026 मुताबिक मिलान शीट 647 मी0 व 648 मी0 से बने है न की आ0 नं0 695/647 व 696/648 का बना है। उक्त नये नम्बर किस्म भूमि चारागाह होकर सरकारी मिल्कियत की होने से अस्वीकार है।

4. वाद की चरण संख्या 4, 5, 6, 7 का जवाब अपेक्षित नहीं।

5. वाद की पेरा 7 अस्वीकार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय Civil Appeal No. 1132/2011@SLP © No. 3109@2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे। ऐसे में चारागाह भूमि की इन्द्राज दुरूस्ती काबिल न होकर काबिल खारिज होने से वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगणो की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो निम्नानुसार है –

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि उक्त प्रार्थनापत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश किया गया है।

2. यह कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित आराजीयात ग्राम कल्याणपुरा तहसील कपासन मे स्थित है जिसके पुरानी पैमाईश के आराजी नम्बर 695/647 एंव 696/648 है जो हम प्रार्थीगणो के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की है। इसकी ताईद मे प्रार्थीगणो की तरफ से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संवंत् 2034–2037 तक की पेश कर रखी है उक्त जमाबन्दी के अनुसार खातेदार चुन्ना, नवला, नाथु पिता दौला जी अहीर है जिनका देहान्त हो गया है व उनके वारीसान सभी हम प्रार्थीगण है।

3. यह कि पैमाईश के दरम्यान उपरोक्त विवादीत आराजी नम्बर का मिलान खसरा नही बनाया गया है जिससे उक्त आराजीयात सरकार के [illegible] ज ही गयी जबकि इस पर कब्जा हम प्रार्थीगणो का ही है।

4. यह कि सरकार की और से भी जवाब पेश हो चुका है एवं मौका रिपोर्ट न्यायालय आपके आदेश से पेश हो चुकि है जो पत्रावली मे सलग्न [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:45 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण से सम्बन्धित वर्तमान आराजी नम्बर 1023,1024,1025,1026,1027 पर हम प्रार्थीगणो का कब्जा काश्त है एवं इसी मौका रिपोर्ट मे पुरानी पैमाईश के आराजी नम्बर 695/647 एवं 696/648 का मिलान क्षेत्रफल मे अंकन नही किये जाने का कथन भी अंकित किया है।

6. यह कि उपरोक्त आवेदन राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट से पैमाईश के दरम्यान लिखित भुल होना सिद्ध है एवं आराजीयात पर हम प्रार्थीगण का कब्जा होना भी पुरी तरह से सिद्ध है।

7. यह कि सरकार की ओर से हमारे आवेदन की कॉलम सख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया है सिर्फ चारागाह भुमि वर्तमान मे अंकित होने के आधार पर वाद खारीज करने का अंकन किया है जबकि पैमाईश विभाग को इस प्रकार रेकार्ड मे हमारी खातेदारी को चारागाह मे अंकित करने का कोई अधिकार किसी भी प्रकार से नही है हमने तो सिर्फ पैमाईश विभाग की गलती को सुधार करने के लिये यह आवेदन पेश किया है जो स्वीकार होने योग्य है ।

8. यह कि उक्त कारणो से दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट व सरकार के जवाब की कॉलम सख्या 1 व 2 से हम प्रार्थीगणो का आवेदन पुरी तरह से सिद्ध है जिससे स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

9. यह कि प्रकरण लम्बे समय से श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है हम प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है जिससे उक्त लिखित बहस स्वीकार फरमा ग्राम कल्याणपुरा तहसील कपासन की वर्तमान आराजी नम्बर 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 हम प्रार्थीगणो के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकित करा न्याय दिलाया जावे।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा मौखिक बहस पेश कर यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी आराजीयात किस्म चारागाह है। चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय Civil Appeal No. 1132/2011@SLP © No. 3109@2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से प्रदान नहीं किये जा सकते है। साथ ही आराजी संख्या 1023, 1024, 1025, 1026 मुताबिक मिलान शीट 647 मी0 व 648 मी0 से बने है न की आ0 नं0 695/647 व 696/648 का बना है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मौजा कल्याणपुरा के आराजी संख्या 1023, 1024, 1025, 1026 के खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गयी है जो वर्तमान में किस्म चारागाह दर्ज है। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय Civil Appeal No. 1132/2011@SLP © No. 3109@2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से किस्म चारागाह पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:45 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official